

<p>निदेशक का कार्यालय पूर्वी मुद्रण वर्ग 14, वुड स्ट्रीट, कोलकाता-700016 (प०ब०) दूरभाष सं०: 033-22876950 फैक्स सं०: 033- 22834694 ई-मेल: epg.kol.soi@gov.in सं० - /37-G-15(EPGRO)</p>		<p>OFFICE OF DIRECTOR Eastern Printing Group, 14, Wood Street Kolkata-700016 (W.B.) Phone No. 033- 22876950 Fax No. 033- 22834694 E-mail: epg.kol.soi@gov.in</p>
		दिनांक : -11-2016

पूर्वी मुद्रण वर्ग, नेमी आदेश सं० 09 /37-G-15(EPGRO) दिनांक 15 -11-2016
EASTERN PRINTING GROUP, ROUTINE ORDER NO. /37-G-15(EPGRO) DATED -11-2016

1. भण्डार सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु स्थानान्तरण / तैनाती ।

श्री अशीम सेनगुप्ता, भण्डार पाल ग्रेड-II को भण्डार सहायक के पद पर पी०बी०-2 में रु० 9,300-34,800 + 4200 ग्रेड वेतन (7th CPC में लेवल 6) में 04-10-2016 से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है ।

Shri Ashim Sengupta, Store Keeper Gde-II is hereby promoted to the post of Store Assistant on regular basis with effect from 04-10-2016 in the P.B.-2 Rs. 9,300-34,800 + 4200 (Level 6 of 7th CPC).

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई सतर्कता / अनुशासनात्मक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है ।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment are pending against the above Govt. Servant.

2. उपरोक्त कर्मचारी को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ०आर० 22(I)(क)(1) के तहत विकल्प देना होगा ।

He is required to exercise an option under Rule F.R. 22(I)(a)(1) for fixation of pay on his promotion.

3. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के लिए वर्ष 2016-2017 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2016-2017 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : महासर्वेक्षक का पत्र सं०सी-2889/724-भण्डार सहायक दिनांक 01-06-2016)

II. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय जापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय में ग्रुप 'सी' स्थापना में प्रवर श्रेणी लिपिक (अवर श्रेणी लिपिक से पदोन्नति) के निम्नलिखित कर्मचारियों को उनको नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से वेतन मेट्रिक्स के लेवल 5 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम सं०	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ प्रदान करने की तिथि
1.	श्री मानब कुमार राय	प्रवर श्रेणी लिपिक	29-10-2016
2.	श्री समीर कुमार ओझा	प्रवर श्रेणी लिपिक	26-11-2016

In pursuance of the instructions contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's Lr. No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Group 'C' Estt. Upper Division Clerk (Promoted from Lower Division Clerk) of this Directorate are granted Second Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in level-5 with effect from the date as mentioned against their name :-

S.L. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Shri Manab Kumar Roy	Upper Division Clerk	29-10-2016
2.	Shri Samir Kumar Ojha	Upper Division Clerk	26-11-2016

2. उपरोक्त कर्मचारी को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा।

The above individual is required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of Second Financial upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशलय के वर्ष 2016-2017 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2016-2017 and debited to appropriate head of account.


(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-5814/1902- एम०ए०सी०पी० (मिनिस्ट्रीयल-II)
दिनांक 19-10-2016)

III. सेवा निवृत्ति :-

इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी उनके सम्मुख दर्शाये गये विवरणानुसार सेवानिवृत्त हुए ।

क्रम सं०	नाम	पद	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्री बादल कुमार सरकार	सहायक प्रबन्धक	30-09-2016
2.	श्री दादन प्रसाद	तकनीकी श्रमिक (एस०/एस०)	30-09-2016

Sl. No.	Name	Designation	Date of Retirement
1.	Shri Badal Kumar Sarkar	Assistant Manager	30-09-2016
2.	Shri Dadan Prasad	Tech. Lab.(S/S)	30-09-2016


(आशीष कौशल)

निदेशक

पूर्वी मुद्रण वर्ग, कोलकाता

वितरण :-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून के सूचनार्थ ।
2. अपर महासर्वेक्षक, मुद्रण क्षेत्र, देहरादून को सूचनार्थ ।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता ।
4. प्रभारी, विभागीय वेबसाइट, द्वारा नेशनल जी०डी०सी०, देहरादून को ई-मेल (admn.soi@gov.in) के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु ।
5. स्थापना एवं लेखा अधिकारी/प्रभारी वेतन अनुभाग को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवही हेतु ।
6. गार्ड फाईल / 4-F-12 / 4-F-1 (MACP) / सर्वाधिकृत अधिकारियों / कर्मचारियों की व्यक्तिगत फाईल ।

ई-मेल के द्वारा